



# शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा-2, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

**Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar**

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

Telephone 07782-229215, 229884 E-mail: [exambastar@gmail.com](mailto:exambastar@gmail.com)

क्रमांक / 632 / परीक्षा / गोपनीय / श.म.क.वि.वि. / 2022 जगदलपुर दिनांक 01 / 06 / 2022

## अधिसूचना

एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28/03/2022 के माध्यम से कोविड-19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन, प्रदेश के राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों एवं शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2021-22 में अध्यापन एवं अध्ययन तथा परीक्षाओं के संबंध में शिक्षा सत्र 2021-22 के शेष सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ/ऑनलाईन/ब्लैन्डेड मोड में आयोजित करने के लिए कार्यपरिषद के अनुमोदन से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में सेमेस्टर परीक्षा जनवरी-जून 2022 के आयोजन कराये जाने हेतु अध्यादेश क्रमांक-5 की कांडिका-22 में निहित प्रावधान अनुसार दिशा-निर्देश/विनियम प्रारूप विद्यापरिषद एवं कार्यपरिषद के अनुमोदन पश्चात् निम्नानुसार जारी किया जाता है:-

1. परीक्षार्थी का परीक्षा में प्रवेश सभी निर्धारित शर्तें पूर्ण करने के अधीन होगा। परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में उल्लेखित विषय/प्रश्नपत्रों इत्यादि के अनुसार प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जावेगा।
2. परीक्षार्थियों को महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए एक प्रश्न पत्र, एक मुख्य उत्तरपुस्तिका (24 पेज) एवं एक पूरक उत्तरपुस्तिका (08 पेज) कुल 32 पेज का बुकलेट बनाकर सभी प्रश्नपत्रों का बुकलेट एक लिफाफा में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार प्रदान किया जायेगा।
3. कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने की स्थिति में परीक्षार्थियों के सुविधा हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाईड में प्रश्न पत्र ऑनलाईन उपलब्ध कराया जायेगा। परीक्षार्थी अपना User Id & Password login कर प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
4. प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका बुकलेट के साथ उपस्थिति पत्रक भी परीक्षार्थियों को प्रदान किया जायेगा। उपस्थिति पत्रक के समस्त विवरण परीक्षार्थी को अनिवार्यतः परिपूरित करना होगा तथा वीक्षक को भी उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर करना होगा।
5. महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में बुकलेट वितरण एवं प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक काउंटर (15 परीक्षार्थियों पर) व्यवस्था किया जाएगा।
6. परीक्षार्थी द्वारा जमा उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अनुक्रमांक/नामांकन अंक स्पष्ट अक्षरों में लिखा है का परीक्षण कर वीक्षक को अनिवार्यतः उत्तरपुस्तिका में हस्ताक्षर करना होगा।
7. हस्तलिखित उत्तरपुस्तिका निर्धारित तिथि को महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्रों में जमा करना होगा।
8. पोस्ट/कोरियर एवं अन्य माध्यम से उत्तरपुस्तिका प्राप्ति/जमा करने का प्रावधान नहीं होगा।
09. प्रायोगिक परीक्षाएँ ऑफलाईन माध्यम से आयोजित कराया जायेगा।

10. यदि कोई परीक्षार्थी महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र से प्रदाय उत्तरपुस्तिका जमा नहीं करता है अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी के उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति जमा करता है अथवा किसी अन्य से उत्तरपुस्तिका में उत्तर लिखवाने पर उसके विरुद्ध अनुचित साधन प्रकरण बनाया जायेगा।
11. उत्तरपुस्तिका गुम जाने/भीग जाने/फट जाने की स्थिति में परीक्षार्थी को थाने में सूचना देनी होगी तथा एफ.आई.आर. की एक प्रति महाविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को दोबारा उत्तरपुस्तिका प्रदान नहीं की जायेगी।
12. किसी भी परिस्थिति में अभिभावक/रिश्तेदार इत्यादि को उत्तरपुस्तिका/प्राप्ति/जमा करने का प्रावधान नहीं होगा।
13. इस परीक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधान अनुसार पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के प्रावधान होंगे।
14. परीक्षार्थी को जिस सरल क्रमांक की/जितनी संख्या में उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी उसी सरल क्रमांक के उत्तरपुस्तिका उतनी ही संख्या में महाविद्यालय /परीक्षा केन्द्र में जमा करना होगा। उत्तरपुस्तिका किसी अन्य परीक्षार्थी के साथ अदला-बदली करने पर अनुचित साधन प्रकरण बनाया जायेगा।
15. उत्तरपुस्तिका का दुरुपयोग (Misuse) करने वाले परीक्षार्थियों पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
16. प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने तथा उत्तरपुस्तिका जमा करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।
17. नेत्रहीन Physically Handicapped and Dyslexic (दिव्यांग) परीक्षार्थियों को लेखक सुविधा होगी।
18. विलम्ब से प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए विचार नहीं जायेगा।
19. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा। अतः महाविद्यालय स्तर पर मूल्यांकन कार्य नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर  
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

क्रमांक/ 633 /परीक्षा/गोपनीय/ श.म.क.वि.वि./2022 जगदलपुर दिनांक 01/06/2022  
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचानालय, इन्द्रवती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
4. माननीय कुलपति महोदय, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर को सूचनार्थ।
5. विभागाध्यक्ष, समस्त विश्वविद्यालय अध्ययनशाला शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सहायक कुलसचिव (अकादमिक) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर को सूचनार्थ।
8. सम्पादक नवभारत/दैनिक भास्कर/देशबंधु/हरिभूमि/नईदुनिया/हाईवे चैनल/दण्डकारण्य/प्रातःइण्डिया महाकौशल/हिन्दसत्/पत्रिका को इस अनुरोध के साथ कि उक्त समाचार को छात्र हित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. सूचना पटल

सहायक कुलसचिव  
(परीक्षा/गोपनीय)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर  
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)